

फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जरिये आयुक्त बनाम शान्ता लूकड वगैराह
किस्म मुकदमा राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 90-ए, राज0 भू राजस्व अधिनियम
राजस्व अपील संख्या 166/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.06.2024	<p>अपीलान्ट अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्टस अधिवक्तागण उपस्थित है। अपीलान्ट ने यह अपील तत्कालीन अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, जोधपुर (वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर) के द्वारा प्रकरण संख्या 94/2003 में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2003 एवं पट्टा दिनांक 29.03.2003 के विरुद्ध राज0 भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए (9) के तहत दिनांक 14.05.2015 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।</p> <p>प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में राज0 भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के प्रावधानों तथा राज0 नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन), नियम, 2012 की धारा 34 का अवलोकन किया गया</p> <p>राज0 नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन), नियम, 2012 की धारा 34 जो इस प्रकार है:- <u>Revocation of allotment.</u>- If after the allotment or execution of lease deed it is found that the allotment or lease deed have been obtained by way of misrepresentation, on the basis of fraudulent documents, with collusion, in contravention of law or any terms and conditions of allotment or lease deed are violated then the Local Authority shall after giving reasonable opportunity of hearing to the allottee revoke the allotment and the land along with any construction thereon, shall be deemed to be vest in the Local Authority free from all encumbrances, and the Local Authority shall not be liable for any damage, whatsoever caused to any person.</p> <p>उपरोक्त अपील भी अपीलान्ट ने स्वयं अपने कार्यालय</p>	



संभागीय आयुक्त
जोधपुर

की ओर से उल्लेखित प्रकरण में जारी आदेश दिनांक 13.02.2003 एवं उसकी निरन्तरता में जारी पट्टा दिनांक 29.03.2003 को चुनौती पेश की गई है। ऐसे में अपीलाधीन प्रकरण में पारित आदेश के सम्बन्ध में अधीनस्थ कार्यालय उक्त धारा 34 के तहत नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वयं सक्षम है।

उक्त नियमों की निरन्तरता में प्रस्तुत अपील के तहत अपीलाधीन प्रकरण में राज0 नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा व आवंटन), नियम, 2012 धारा 34 के तहत विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के सम्बन्धित जोन के उपायुक्त को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

पत्रावली इसी स्तर पर निस्तारित होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकॉर्ड आदेशिका की प्रति सहित लौटाया जावे।

(भँवरलाल मेहरा)

समाजीय आयुक्त
जोधपुर

